



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
चेन्नै

ई-निविदा आमंत्रित करने की नोटिस

भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै निम्नलिखित कार्य के लिए नीचे निर्दिष्ट **न्यूनतम पूर्व-योग्यता मानदंड** को पूरा करने वाले पात्र ठेकेदारों से **ई-निविदा मोड** के माध्यम से दो भागों की निविदाएं आमंत्रित करता है। कार्य के मुख्य विवरण जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की जाती हैं और बोलीदाताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार हैं:

I.	ई-निविदा नं.	RBI / Chennai Regional Office/ Estate /38 / 24-25 / ET / 733 / [DSITC of 100 KLD of STP at BNQ]
II.	कार्य का नाम और स्थान	मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर (एमबीआर) प्रौद्योगिकी के साथ 100 किलोलिटर प्रति दिन (केएलडी) क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।
III.	निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता	श्रीमती उमा शंकर, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, फोर्ट ग्लासिस, 16, राजाजी साले, चेन्नै – 600 001 ई-मेल आईडी: estatechennai@rbi.org.in
IV.	अनुमानित लागत	₹ 85 लाख (जीएसटी सहित)
V.	बयाना जमा राशि	₹ 1,70,000 (केवल एक लाख सत्तर हजार रुपये) सभी इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा 14 फरवरी 2025 को सुबह 11:00 बजे या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना है
VI.	कार्य पूरा करने की अवधि	3 महीने
VII.	(ए) निविदा दस्तावेज की उपलब्धता और ई-निविदा मोड के माध्यम से डाउनलोड / जमा किए जाने हैं।	बैंक के अनुमोदित ई-निविदा पोर्टल https://mstcecommerce.com/eprocn द्वारा
	(बी) पार्टियों को एनआईटी डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होने की तिथि	10 जनवरी 2025

VIII.	ई-निविदा संबंधी प्रमुख अनुदेश और अदा की जाने वाली लेन-देन राशि	ई-निविदा पर अनुदेशों के लिए, कृपया निविदा दस्तावेज की अनुसूची - एच देखें। ई-निविदा लेनदेन शुल्क, जैसा लागू हो, एमएसटीसी वेबसाइट में भुगतान किया जाएगा।
IX.	बोली-पूर्व बैठक (ऑफ लाइन)	03 फरवरी 2025 को सुबह 11.00 बजे संपदा विभाग, आरबीआई, चेन्नई में।
X.	ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा शुरू करने की तिथि	05 फरवरी 2025 के सुबह 11:00 बजे
XI.	पीक्यू दस्तावेजों के साथ बोली (ऑनलाइन) -टेकनो कमर्शियल (भाग I) और मूल्य बोली (भाग II) प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि और समय	14 फरवरी 2025 के सुबह 11:00 बजे
XII.	बोली खोलने की दिनांक और समय	निविदा का भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) 14 फरवरी 2025 को सुबह 11:30 बजे खोला जाएगा। भाग-II (मूल्य बोली) बाद की तारीख को खोली जाएगी जिसकी सूचना अर्हक बोलीदाताओं को दी जाएगी।
XIII.	निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी के कार्मिक के संपर्क विवरण	1. श्री आर वी शिवा (प्रबंधक-सिविल), 044-2539 9108 (तकनीकी प्रश्नों के लिए) मेल आईडी : rvshiva@rbi.org.in 2. श्री रोहित माने, सहायक प्रबंधक, नंबर 044- 2561 9851, (ई-निविदा प्रश्नों के लिए) - मेल आईडी: rohitmane@rbi.org.in 3. श्री विल्वनाथन.एम, सहायक, नंबर 044-2539 9258, (ई-निविदा प्रश्नों के लिए) - मेल आईडी: vilva@rbi.org.in

2. निम्न न्यूनतम **पूर्व-योग्यता (पीक्यू) मानदंडों** को पूरा करने वाले बोलीकर्ता निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे।

पूर्व-योग्यता (पीक्यू) मानदंड

क.	फर्म / संगठन की संरचना	फर्म / संगठन के पंजीकरण विवरण – क्या वे एकल स्वामित्व / साझेदारी फर्म / प्राइवेट लिमिटेड / लिमिटेड या सहकारी निकाय आदि - पंजीकरण प्राधिकारी का नाम, तिथि, पंजीकरण संख्या आदि।	बोलीदाता को इसके साथ संलग्न प्रारूप 1 और प्रारूप 1A में अपेक्षित जानकारी भरनी चाहिए और उसे निम्नलिखित सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए: (i) पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति। (ii) संस्था के अंतर्नियम / मुख्तारनामा / अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति।
----	------------------------	---	---

		बोलीदाता के पास वैध वस्तु और सेवा कर पंजीकरण होना चाहिए।	(iii) पैन, टिन, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण प्रमाणपत्रों की प्रति। (iv) कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा दस्तावेजों, यदि कोई हों, सहित श्रम के पंजीकरण का ब्यौरा।
ख.	पूर्वानुभव अवधि	बोलीदाता के पास समान कार्य(कार्यों)* को निष्पादित करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बोलीदाता 5 साल के न्यूनतम अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा (यानी, बोलीदाता को 31 दिसंबर 2019 से पहले इसी तरह के कार्य (र्यों) को किया हुआ होना चाहिए)।	i) बोलीदाता को इसके साथ संलग्न प्रारूप 2 में सूचना भरते हुए प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें समान कार्य (कार्यों) के क्लायंट-वार नाम, सौंपे गए कार्य और वास्तविक लागत, ठेके में निर्धारित कार्य पूर्ण करने की तारीख और पूरा होने की वास्तविक तारीख आदि दर्शाई जानी चाहिए और समान कार्य (कार्यों) को पूरा करने के न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव के प्रमाण के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना चाहिए अर्थात् अर्हक कार्यों के लिए विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां जो कार्य प्रदान करने की तारीख, संविदा राशि, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि दर्शाती हैं और सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक (ओं) द्वारा जारी किए गए कार्य (कार्यों) के पूरा होने की वास्तविक तारीख और निष्पादित समान कार्य (कार्यों) के वास्तविक मूल्य को दर्शाने वाले संगत पूर्णता प्रमाणपत्र और निजी कंपनियों/ग्राहकों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक (ग्राहकों) द्वारा जारी किए गए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र के साथ कार्य आदेश, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रतियां। ii) बोलीदाता को इसके साथ संलग्न प्रारूप 2A में वर्तमान में उनके पास होने वाले समान कार्य (कार्यों) के बारे में जानकारी भी भरनी चाहिए और सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए अर्थात् कार्य आदेश (ओं) की प्रतियां, जो ग्राहक (ओं) द्वारा जारी किए गए कार्य (ओं), जो प्रगति पर हैं, की मदों के विवरण के साथ हैं।

			(iii) किसी भी केंद्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए कार्य करने के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण भी दिया जाना चाहिए।
ग.	निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रत्येक पूर्ण किए गए समान कार्य (कार्यों)* (अर्हीकरण) का न्यूनतम मूल्य।	<p>बोलीदाता को 01 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2024 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान संतोषजनक ढंग से समान कार्य (कार्यों)* को पूरा करने का अनुभव होना चाहिए, निम्नलिखित में से कोई भी होना चाहिए:</p> <p>(i) तीन पूर्ण किए गए समान कार्य* जिनमें से प्रत्येक की लागत ₹34 लाख के बराबर राशि से कम नहीं है। अथवा</p> <p>(ii) दो पूर्ण किए गए समान कार्य* जिनमें से प्रत्येक की लागत ₹42.5 लाख के बराबर राशि से कम न हो। अथवा</p> <p>(iii) एक समान कार्य* पूरा किया जिसकी लागत ₹ 68 लाख के बराबर राशि से कम नहीं है।</p>	<p>बोलीदाता को यहां संलग्न प्रारूप 3 में जानकारी भरनी चाहिए और निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ समान कार्य (कार्यों) को सफलतापूर्वक पूरा करने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए।</p> <p>(i) अर्हक कार्यों के लिए विस्तृत कार्य आदेशों की प्रतियां जिनमें अवार्ड की तारीख, ठेका राशि, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि दर्शाया गया हो और सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक (ओं) द्वारा जारी किए गए निष्पादित समान कार्य (कार्यों) के पूरा होने की वास्तविक तारीख और वास्तविक मूल्य दर्शाते हुए तदनुसूची पूर्णता प्रमाणपत्र (ओं) की प्रतियां और ग्राहक (ग्राहकों) द्वारा जारी किए गए स्त्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र (कार्यपत्रों) सहित कार्य आदेश और कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रतियां निजी कंपनियों के लिए निष्पादित कार्य।</p> <p>(ii) इसके साथ संलग्न प्रारूप 3A के अनुसार प्रत्येक अर्हक कार्य के लिए ग्राहक प्रमाणपत्र।</p>
घ.	वार्षिक वित्तीय टर्नओवर	बोलीदाता के पास 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ₹ 85 लाख या उससे अधिक के बराबर राशि का वार्षिक वित्तीय कारोबार होना चाहिए।	<p>बोलीदाता को इसके साथ संलग्न प्रारूप 4 में जानकारी भरनी चाहिए और निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए:</p> <p>(i) सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित बोलीदाता के कारोबार के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों / लेखाओं की प्रतियां जो इसके साथ संलग्न फार्मेट 4 में संदर्भित वित्तीय वर्षों के लिए कारोबार को दर्शाती हों।</p> <p>(ii) आयकर निकासी प्रमाणपत्रों/आयकर कर निर्धारण आदेशों की प्रतियां जो किसी</p>

			सनदी लेखाकार द्वारा साख पात्रता के प्रमाण के रूप में विधिवत प्रमाणित हों।
ड.	सॉल्वेंसी और बैंकर का प्रमाण पत्र।	बोलीदाता के बैंकर द्वारा जारी ₹ 85 लाख के बराबर राशि के लिए, विशेष रूप से काम के उद्देश्य से सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।	(i) बोलीदाता को अपने बैंकर से संलग्न प्रारूप 5 के अनुसार सॉल्वेंसी प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए। (ii) बैंकरों के नाम और पते के साथ-साथ नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि जैसे पूर्ण विवरण के साथ-साथ संपर्क किए गए व्यक्तियों को बैंक द्वारा उनके बैंकरों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है, यदि इसकी आवश्यकता हो) को प्रारूप 5A में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
च.	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता		अनुबंध 5 के अनुसार, संबंधित अधिकारी / व्यक्ति को निविदा पर हस्ताक्षर करने और भाग लेने के लिए अधिकृत करने वाला फर्म से प्राधिकार पत्र

टिप्पणियां:

(i) *इसी प्रकार के कार्य का अभिप्राय 'मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर (एमबीआर) प्रौद्योगिकी प्रकार की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की डिजाइनिंग, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग' का कार्य होगा

(ii) समान कार्य की परिभाषा (ऊपर उल्लिखित) में शामिल कार्यों के अलावा निष्पादित कार्य के घटकों को समान कार्य की लागत की गणना करते समय घटाया जाएगा। बोलीदाता इसके समर्थन में कार्य की लागत का सार प्रस्तुत करेगा।

(iii) इसी प्रकार के कार्य (कार्यों) के संबंध में निजी कंपनियों/ग्राहकों द्वारा जारी किए गए ग्राहक प्रमाण-पत्र के साथ स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाणपत्रों की प्रतियां भी संलग्न होंगी। निर्दिष्ट प्रमाण पत्र (पत्रों) के बिना प्राप्त बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बैंक को जब भी आवश्यक महसूस हो, उक्त दस्तावेजों की प्रामाणिकता का सत्यापन/सत्यापन करने का अधिकार होगा।

(iv) सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए किए गए समान रूप से पूरे किए गए कार्यों को अर्हता प्राप्त करने के लिए ग्राहक के प्रमाण पत्र के संबंध में, प्रमाण पत्र संबंधित कार्यकारी अभियंता या समकक्ष या उच्चतर रैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। निजी कंपनियों/ग्राहकों के लिए किए गए समान रूप से पूर्ण किए गए कार्यों को अर्हता प्राप्त करने के लिए, क्रेडेंशियल्स/संविदा राशि को साबित करने के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(v) बैंक को अर्हक कार्य(कार्यों) के लिए कंपनियों/ग्राहकों से निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित है, बोलीदाताओं की बैंकर(ओं) की रिपोर्ट, यदि ऐसा वांछित हो, तो वह सीधे प्राप्त कर सकता है। बैंक स्वयं भी निविदा में भाग लेने के लिए बोलीदाताओं की पात्रता के समर्थन में उनके द्वारा संदर्भित कार्य का स्वतंत्र निरीक्षण कर सकता है।

(vi) यह स्पष्ट किया जाता है कि इच्छुक बोलीदाता द्वारा अपने इन-हाउस अथवा पूंजीगत उपयोग के लिए निष्पादित कार्य को अनुभव के संबंध में इच्छुक बोलीदाता की पात्रता के समर्थन में पूरा किया गया/वर्तमान में उनके पास होने वाला कार्य नहीं माना जाएगा।

(vii) यदि फार्मेट में स्थान पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के लिए अपर्याप्त हैं, तो ई-निविदा प्रस्तुत करते समय वही सूचना बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार अलग-अलग कागजों पर प्रस्तुत की जा सकती है, जिस पर मुहर के साथ विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों, स्कैन किए गए हों और सहायक दस्तावेजों के साथ अपलोड किए गए हों।

(viii) यहां तक कि यदि किसी कॉलम में कोई सूचना नहीं दी जानी है, तो भी उस कॉलम में शून्य या ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। यदि बोलीदाता के मामले में कोई विशेष/सूचना लागू नहीं होती है, तो इसे 'लागू नहीं' के रूप में बताया जाना चाहिए। निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी संलग्नक होंगे और प्रतियां स्व-सत्यापित होंगी।

(ix) बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली, जो उपर्युक्त पूर्व अर्हता मानदण्डों को पूरा नहीं करता पाया जाता है, को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। झूठी और/या अधूरी जानकारी वाली बोलियां अस्वीकृत होने के लिए उत्तरदायी हैं।

श्रीमती उमा शंकर
क्षेत्रीय निदेशक